प्रस्तावना

मार्च 2011 के समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के समेकित बाल विकास सेवाएं (स.बा.वि.से.) योजना के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों से युक्त प्रतिवेदन को संविधान की धारा 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा महिला तथा बाल विकास मंत्रालय तथा चयनित 13 राज्य सरकारों के कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के माध्यम से की गई थी। लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल अवधि 2006-07 से 2010-11 थी। प्रतिवेदन मंत्रालय को 20 जुलाई 2012 को अग्रेषित किया था। 23 नवम्बर 2012 को प्राप्त मंत्रालय के उत्तरों पर विचार किया गया तथा प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल किया गया है।